

उत्तर प्रदेश सरकार
राज्य योजना आयोग-2
संख्या 9/7/35-आ-2/99-55
लखनऊ : दिनांक 11 फरवरी, 2009

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1999) की धारा 19 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2009

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2009 कही जायेगी ।
(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली 2008 में, अनुसूची में,
(क) क्रमांक-26 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात:-

1	2	3	4	5	6	7
26	एटा	24	3	3	6	30

- (ख) क्रमांक-70 की प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी:-

1	2	3	4	5	6	7
71	काशीराम नगर	16	3	1	4	20

आज्ञा से,

मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव ।